



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

वित्त अधिकारी / Finance Officer

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2013/ARC/2017/344

दिनांक: 26.08.2017

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयादेश क्रमांक 05/2013/01/259 दिनांक 01/05/2014 के क्रम में **रैगिंग विरोधी दल** (Anti Ragging Squad) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है -

1. कुलानुशासक-	नोडल अधिकारी
2. प्रो. मनोज कुमार-	सदस्य
3. प्रो. फरहद मलिक-	सदस्य
4. प्रो. प्रीति सागर-	सदस्य
5. डॉ. अशोकनाथ त्रिपाठी-	सदस्य
6. डॉ. सुरजीत कुमार सिंह-	सदस्य
7. डॉ. चित्रा माली-	सदस्य सचिव

रैगिंग विरोधी दल 'उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009' के विनियम, प्रावधान और रैगिंग से संबंधित कानून के अनुपालन में कार्य करेगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़

(कादर नवाज़ ख़ान)

26/08/17

प्रति: संबंधित सभी को।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रति-कुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. समस्त विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल